न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./162/19/नागौर (2019/00162)

विभागीय अपील द्वारा श्री चेनाराम बोरानिया तत्कालीन पटवारी जड़ाऊ कलां हाल पटवारी नेतड़िया तहसील मेड़ता जिला नागौर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 25–09–2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री चेनाराम बोरानिया तत्कालीन पटवारी जड़ाऊ कलां हाल पटवारी नेतड़िया तहसील मेड़ता जिला नागौर जरिये अधिवक्ता श्री लेखू मंघानी

निर्णय

दिनांकः– 25.10.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 25–09–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 06.07.2016 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह है कि आप श्री चेनाराम, पटवारी जड़ाउ कलां तहसील रियांबड़ी के पद पर कार्यरत रहते हुए ग्राम जड़ाउ कलां के खसरा नम्बर 187 रकबा 15 बीघा में श्री मूलाराम द्वारा अपने हिस्से में से 1/12 हिस्से का बेचान शैतान सिंह को किये जाने पर आप द्वारा नामान्तरकरण संख्या 924 दर्ज किया गया जिसमें बेचान का हिस्सा नहीं खोला एवं उक्त नामान्तरकरण का अमल जमाबंदी सम्वत 2052–2055 के खसरा संख्या 187 व 191 में कर दिया। जबकि नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 924 में बेचान की गई भूमि का हिस्सा खोला जाकर उनका अमल जमाबंदी सम्वत 2052–2055 के खसरा संख्या 187 में किया जाना था।

आपके उक्त कृत्य से शैतान सिंह सम्पूर्ण खाते के खसरा संख्या 187 व 191 (नये खसरा संख्या 174, 492, 493 व 494) में सहखातेदार हो गया। शैतान सिंह के सम्पूर्ण खाते में सहखातेदार बनने से उसने गलत रूप से आगे भूमि का बेचान कर दिया जिससे भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आप द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य किया है। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 25.7.2016 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इसलिए जिला कलक्टर, नागौर ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 12–09–2018 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, नागौर ने अपीलान्ट की सुनवाई की और आर्डर शीट पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवाकर आदेश पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में राजकार्य मे लापरवाही बरत कर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किये जाने बाबत दोषी मानते हुए अपीलांट को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, नागौर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, नागौर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, नागौर का आदेश दिनांक 25–09–2018 सीसीए नियमों के नियम 16 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर कथन किया कि जांच अधिकारी ने सीसीए नियम 16 (4) (क) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। जांच अधिकारी ने जांच प्रारम्भ करने से पूर्व अपीलांट को आरोप नहीं सुनाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 1981 (एस.सी) पृष्ठ 1070 व एआईआर 1959 (एम.पी.) पृष्ठ 404 में दी गई व्यवस्था अनुसार पारित दण्डादेश निरस्तनीय है।

अपीलांट ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि जांच अधिकारी ने विभागीय पैरोकार द्वारा जांच में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर

स्वीकृति/अस्वीकृति अंकित नहीं करवाई एव ंना ही विभागीय पैरोकार द्वारा जांच के दौरान विभागीय गवाहों की सूचि ही उपलब्ध करवाई। अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है वह अस्पष्ट व अपूर्ण है। आरोप पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट ने ऐसा कौनसा कृत्य किया है जिसके करने से विशेष व्यक्ति अर्थात शैतान सिंह पुत्र भगवान सिंह को लाभ पहुंचाया है। अपीलांट की रिपोर्ट किये जाने से उस रिपोर्ट के आधार पर किन–किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई है और राज्य सरकार को किस प्रकार से हानि हुई है। आरोप पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट के विरूद्ध मात्र नामान्तरकरण में खसरा नम्बर गलत लिखने का आरोप है परन्तु जो आरोप सिद्ध मानकर दण्डित किया गया है वह आरोप अपीलांट के ऊपर लगाया ही नहीं गया है। जिला कलक्टर नागौर ने अपीलांट को जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं भिजवाई एवं नां ही अभ्यावेदन पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के एक दण्डादेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत मानकर 1991 (1) आर.एल.आर 213 जगदीश प्रसाद मीणा बनाम संभागीय आयुक्त में दण्डादेश निरस्त कर समस्त परिलाभ दिये है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विक्रम सिंह बनाम राजस्थान सरकार (WLC(Rajasthan) 1993 (1) पृष्ठ 573) के प्रकरण में भी सीसीए रूल्स 16 (9) (10) (14) में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण दण्डादेश निरस्त किया है।

अपीलांट ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 6–7–2016 को आरोप पत्र जारी किये गये है जबकि यह मामला वर्ष 2005 का है। अपीलांट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27–6–2005 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 924 दिनांक 14–11–2005 को भरकर प्रस्तुत कर किया तथा दिनांक 9–12–2005 को स्वीकृत भी हो गया था। उक्त संबंध में मोहन भाई, डूंगर भाई परमान बनाम वाइ.पी झाला 1980 लैब आई. सी पृष्ठ 89 (गुजरात) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि क्या एक वर्ष की देरी अपने आप में युक्तियुक्त अवसर का हन नहीं है। माननीय न्यायलय में अभिनिर्णित किया है कि विलम्ब घातक है और युक्तियुक्त अवसर तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन है।

अपीलांट ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 420, 468, 464, 471, 120 बी पुलिस थाना पादुकलां में दर्ज कराया गया था। उक्त मुकदमें के लिए पुलिस अधीक्षक नागौर ने जिला कलक्टर नागौर से अभियोजन स्वीकृति चाही तो जिला कलक्टर नागौर द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं कर विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। जिला कलक्टर नागौर ने अपने आदेश में

यह माना है कि पटवारी द्वारा जो इन्द्राजात राजस्व रेकार्ड में किये गये है वह मात्र एक विभागीय भूल है इसके उपरान्त भी अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाया गया है वह उक्त निर्णय के विपरीत लगाया गया है। इस प्रकार तत्कालीन जिला कलक्टर के आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलांट को दण्डित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया कि अपीलांट के विरूद्ध केवल एक आरोप लगाया गया है कि जब वह पटवार मण्डल जड़ाउकलां, तहसील रिंयाबड़ी में पटवारी के पद पर था तब खसरा नम्बर 187 रकबा 15 बीघा में से श्री मूलाराम द्वारा अपने हिस्से में से 1/12 हिस्से का बेचान शैतान सिंह को किये जाने पर उनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 924 दर्ज किया गया जिसमें बेचान का हिस्सा नहीं खोला गया। नामान्तरकरण का अमल जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 के खसरा नम्बर 187 व 191 में कर दिया गया जबकि नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 924 में बेचान की गई भूमि का हिस्सा खोला जाकर उनका अमल जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 के खसरा संख्या 187 में किया जाना था। यह भी आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा उक्त कृत्य से शैतान सिंह सम्पूर्ण खाते खसरा नम्बर 187 व 191 में सह–खातेदार हो गया तथा शैतान सिंह ने सहखातेदार बनने से गलत रूप से भूमि का बेचान कर दिया जिसके कारण पक्षकारों में विवाद हुआ। उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जांच अधिकारी ने अपीलांट पर आरोपित आरोप को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं माना और अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि रिकार्ड संधारण में जानबूझकर बदनियतीपूर्वक कार्य करना साबित नहीं होता है, भूलवश लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है। अपीलांट ने ग्राम जड़ाउकला के खसरा नम्बर 187 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 924 दर्ज किया था। उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार खोला गया था। चूंकि पूर्व में खातों में खातेदारों के हिस्से दर्ज नहीं होने से वक्त नामान्तरकरण दाखिल हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है। अपीलांट ने नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14, 15, 16 में टिप्पणी अंकित की है कि ''जरिये रजिस्ट्री दिनांक 27–6–2005 पृष्ठ संख्या 1 जिल्द संख्या 72 पृष्ठ संख्या 45, क्रम संख्या 435/2005 पर पंजीयन के अनुसार मूला ने अपने हिस्से में से शैतान सिंह को भूमि को बेचान करने पर नामान्तरकरण भरकर पेश है'' अपीलांट की उक्त रिपोर्ट को देखकर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तत्पश्चात उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया। यदि नामान्तरकरण संख्या 924 के कॉलम संख्या 7 व 9 में अंकित इन्द्राजों का अवलोकन करेंगे तो पायेंगे कि इसमें सहखातेदारों का हिस्सा अंकित नहीं है। अपीलांट ने स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का उल्लेख किया है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 924 में कभी भी खसरा नम्बर 191 की भूमि के संबंध में हस्तान्तरण का उल्लेख नहीं है। जमाबंदी

सम्वत 2052–2055 में जो इन्द्राजात किये गये उसमें नामान्तरकरण संख्या 924 का इन्द्राज के दौरान अवश्य त्रुटि हुई है जिसे लिपिकीय त्रुटि ही माना जायेगा और जिसका राजस्थान भू–राजस्व भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 166 के अन्तर्गत शुद्धि का प्रावधान था। जिस भूमि का बेचान किया गया था, उस क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार कोई घटा–बढ़ी नहीं थी। किसी भी पक्षकार के हितों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यही कारण है कि जब दोनों ही पक्षकारों ने आपसी समझौता के तहत बंटवारा किया तो भी उस समय यह लिपिकीय त्रुटि नहीं देखी गई। इससे स्पष्ट है कि किसी भी पक्षकार के हितों को कोई नुकसान नही हुआ है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि ग्राम जडाउकला के उक्त नामान्तरकरण संख्या 924 का नवीन भू–प्रबन्ध से प्राप्त रिकार्ड से बनी आधार जमाबंदी सम्वत 2062–2065 में अमल दरामद होने के बाद दिनांक 24–1–2013 को खातेदारों की आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तह विभाजन होने के बाद भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ था जिसका कारण जमाबंदी सम्वत 2052–2055 की जमाबंदी में अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 924 का किया हुआ अमल दरादम नहीं था क्योंकि नवीन भू–प्रबन्ध से प्राप्त रिकार्ड से आधार जमाबंदी तैयार करते वक्त गत जमाबंदी का जिसकी ईकाई बीघा बिस्वा है, मिलान हेतु उपयोग नहीं होता है वरन् केवल नामान्तरकरण पंजीका व मिसल बन्दोबस्त का ही उपयोग होता है इसलिए अपीलांट के विरूद्ध आरोप बनता ही नहीं है। वर्तमान में सहखातेदारों के बीच कोई विवाद नहीं है इसलिए उक्त आरोप स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

अपीलांट ने अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने एक परिपत्र दिनांक 15–3–2004 जारी कर पटवारी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण के बारे में दिशा निर्देश जारी किये है जिसमें कि पटवारी को नामान्तरकरण खोलने के मामले में प्रोटेक्शन दिया गया है। इस परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि पटवारियों के विरूद्ध नामान्तरकरण कार्यवाही में बिना औचित्य के विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी जाती है जिससे पटवारियों को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही सरकारी कार्य के निष्पादन के दौरान भी पटवारियों को उत्पीड़न होता रहता है। राजस्व मण्डल ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि यदि पटवारी ने अपने स्तर से नियमानुसार सभी तथ्यों की पूर्ण जांच करते हुए नामान्तरकरण सही भरा है तो आगे की अनियमितता के लिए उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता है एवं ना ही उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परिपत्र में यह भी अंकित किया गया है कि पटवारी राज्य सेवक की हैसियत से कर्तव्यों का निर्वहन करता हैं राजकार्य में व्यक्तिशः उसके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही/पुलिस कार्यवाही यथोचित नहीं

है। निजी मामलों के अतिरिक्त यदि प्रकरण राजकार्य के कर्तव्य निर्वहन से संबंधित है तो पटवारी को नियमों के अनुसार सुरक्षा दी जानी चाहिए।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है जिसमें कोई बदनियती जांच में प्रमाणित नहीं हुई है। जिला कलक्टर नागौर ने अपने आदेश में जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलांट के कर्तव्यों को मात्र एक विभागीय भूल माना है। इसके उपरान्त भी अपीलांट की दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है। अपीलांट को नियम 16 के तहत कार्यवाही कर वृहत दण्ड से दण्डित किया गया है जबकि नियम 16 के तहत कार्यवाही केवल रिकार्ड में हेराफेरी, गम्भीर दुराचरण तथा रिश्वत के मामलों में ही की जाती है। अपीलांट की केवल लिपिकीय त्रुटि है। जिसके लिए उसे वृहत दण्ड से दण्डित किया जाना किसी भी प्रकार से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 25–09–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि अपीलांट का कथन कि उनको व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, निराधार है। अपीलांट का कथन कि वर्ष 2005 के बाद इतने वर्षो पश्चात विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की जा सकती है, यह कथन अस्वीकार है क्योंकि कार्मिक के सेवा में रहते हुए कभी भी जांच प्रारम्भ की जा सकती है। कार्मिक पर आरोपित कृत्य सामने आने पर जांच प्रारम्भ की गई है। जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 16–8–2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रियांबडी को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार रियांबड़ी को विभागीय पैरोकार नियुक्त किया जाकर जांच प्रतिवेदन तीन माह में चाहा गया था। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि चेनाराम द्वारा जड़ाउकलां के खसरा नम्बर 187 में से श्री मूलाराम द्वारा अपने हिस्से में से आंशिक हिस्से का बेचान श्री शैतान सिंह को किया गया। उक्त बेचान का नामान्तरकरण संख्या 924 अपीलांट श्री चेनाराम द्वारा भरा गया इसका अमल दरामद जमाबंदी सम्वत 2052–2055 के खसरा नम्बर 187 व 191 में कर दिया जबकि नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 924 में बेचान की गई भूमि का हिस्सा खोला जाकर उनका अमल दरामद जमाबंदी सम्वत 2052–55 के खसरा संख्या 187 में किया जाना था। इस प्रकार श्री चेनाराम पटवारी पर लगाया गया आरोप सिद्ध होना प्रमाणित होता है।

जिला कलक्टर नागौर ने अपनी टिप्पणी में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलांट द्वारा पटवार मण्डल जड़ाउकला के पद पर कार्यरत रहते हुए जड़ाउकला के खसरा नम्बर 187 रकबा 15 बीघा में से श्री मूला राम द्वारा अपने हिस्से में से 1/12 हिस्से का बेचान शैतान सिंह को किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 924 दर्ज किया गया जिसमें बेचान का हिस्सा नहीं खोला एवं उक्त नामान्तरकरण का अमल जमाबंदी सम्वत 2052–55 के खसरा नम्बर 187 व 191 में कर दिया जबकि नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 924 में बेचान की गई भूमि का हिस्सा खोला जाकर उनका अमल जमाबंदी सम्वत 2052–2055 के खसरा नम्बर 187 में किया जाना था। अपीलाट के उक्त कृत्य से शैतान सिंह सम्पूर्ण खाते के खसरा नम्बर 187 वे 191 (नये खसरा नम्बर 174, 492, 493, व 494) में सहखातेदार हो गया। शैतान सिंह के सम्पूर्ण खाते में सहखातदार बनने से उसने गलत रूप से आगे भूमि का बेचान कर दिया जिससे भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व भू–अभिलेख नियम 1957 के नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि जांच अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रिंयाबड़ी) ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 22–9–2017 में अंकित किया गया है कि अपीलांट द्वारा पटवार मण्डल जड़ाउकला के पद पर कार्यरत रहते हुए जड़ाउकला के खसरा नम्बर 187 रकबा 15 बीघा में से श्री मूला राम द्वारा अपने हिस्से में से 1/12 हिस्से का बेचान शैतान सिंह को किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 924 दर्ज किया गया जिसमें बेचान का हिस्सा नहीं खोला एवं उक्त नामान्तरकरण का अमल जमाबंदी सम्वत 2052–55 के खसरा नम्बर 187 व 191 में कर दिया जबकि नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 924 में बेचान की गई भूमि का हिस्सा खोला जाकर उनका अमल जमाबंदी सम्वत 2052–2055 के खसरा नम्बर 187 में किया जाना था। अपीलाट के उक्त कृत्य से शैतान सिंह सम्पूर्ण खाते के खसरा नम्बर 187 व 191 (नये खसरा नम्बर 174, 492, 493, व 494) में सहखातेदार हो गया। शैतान सिंह के सम्पूर्ण खाते में सहखातदार बनने से उसने गलत रूप से आगे भूमि का बेचान कर दिया जिससे भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व भू–अभिलेख नियम 1957 के नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य किया हैं।

अपीलांट के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 420, 468, 464, 471, 120 बी पुलिस थाना पादुकलां में दर्ज कराया गया था। उक्त मुकदमें के लिए पुलिस अधीक्षक नागौर ने जिला कलक्टर नागौर से अभियोजन स्वीकृति चाही तो जिला कलक्टर नागौर द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं कर विभागीय कार्यवाही करने का ही निर्णय लिया गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर, नागौर ने अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार को पैरोकार नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी का यह कहना कि जांच अधिकारी एवं जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया गलत है। जिला कलक्टर द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपील में यह स्वीकारोक्ति की गई है कि जमाबंदी सम्वत 2052–2055 में जो इन्द्राजात किये गये उसमें नामान्तरकरण संख्या 924 का इन्द्राज के दौरान अवश्य त्रुटि हुई है। इसे मात्र लिपिकीय त्रुटि नहीं माना जा सकता है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी पर आयत आरोप प्रमाणित माना है।

चूंकि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप प्रमाणित माने गए है। अतएव अपचारी कार्मिक श्री चेनाराम बोरानिया तत्कालीन पटवारी हलका जड़ाऊ कलां हाल पटवारी नेतड़िया तहसील मेड़ता जिला नागौर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 25–09–2018 विधिसम्मत होने से उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–9–2018 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:03:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: